आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

पी.डी.एस. रिविजन वाद संख्या –24 / 2022

धर्मेन्द्र कुमार मण्डल

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।
16.02.2023	यह वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC सं0 6004 / 2021 धर्मेन्द्र कुमार मण्डल बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 23.12.2021 को पारित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में दिनांक–15.12.2020 को लिये गये निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया है। यह मामला बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के अधीन अनुज्ञप्ति निर्गत करने से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अंश निम्न प्रकार हैः– **" In case the petitioner files representation/revision before the concerned Divisional Commissioner within four weeks from today, the same shall be considered on merits and disposed of within a period of eight weeks thereafter.** **Accordingly, the present writ petition stands disposed of as withdrawn with liberty aforesaid ."** अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में पहली बार श्रीमती खुशबू कुमारी का चयन किया गया। श्री धर्मेन्द्र कुमार मण्डल द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद चयन समिति द्वारा खुशबू कुमारी का चयन निरस्त कर अहर्त्ता एवं योग्यता के आधार पर धर्मेन्द्र कुमार मण्डल, पिता–श्री हरि मंडल का चयन किया गया, क्योंकि श्री मण्डल के आवेदन पत्र के साथ PGDM प्रमाण पत्र संलग्न था, जिससे स्पष्ट था कि उनको कम्प्यूटर का ज्ञान था। पुनः श्रीमती खुशबू कुमारी द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार मण्डल का नाम	

WEB COPY NOT OFFICIAL

मतदाता सूची तथा राशन कार्ड में दो जगहों पर होने का आपत्ति दर्ज किया गया।

दिनांक 15.12.2020 को आयोजित जिला चयन समिति द्वारा श्री धर्मेन्द्र कुमार मण्डल का चयन इस आधार पर निरस्त कर रिक्त घोषित कर दिया गया कि आवेदन करते समय चयनित आवेदक का नाम मतदाता सूची तथा राशन कार्ड में दो जगह पर है।

आवेदक श्री मंडल का कहना है कि :–

(i) मेरा नाम राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट में दो जगहों पर दर्ज होने के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि मेरे नाम का आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट में नाम डुमरा प्रखंड के ग्राम–अमघटट्ा, वार्ड नं0–2, पंचायत–माधोपुर रौशन, प्रखंड–डुमरा में सिर्फ एक ही जगह दर्ज है।

(ii) जब मुझे पता चला कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में बगाहीं रामनगर प्रखंड–रून्नीसैदपुर में भी दर्ज है तो मैंने प्रपत्र 7 में अपने नाम को हटाने हेतु 2004 में ही अपना आवेदन संबंधित B.L.O को दिया था एवं पुनः ऑनलाइन भी इसके लिए आवेदन दिया।

(iii) वर्ष 2018 मे जब मुझे ज्ञात हुआ कि सुनैना देवी के नाम से बने राशन कार्ड में मेरा एवं मेरे पिताजी का नाम अंकित है तो मैंने इस राशन कार्ड को निरस्त करने हेतु स्थानीय माननीय मुखिया को आवेदन देते हुए पैक्स, रामनगर बगाही, जन वितरण प्रणाली विक्रेता को इस पर किसी भी तरह के अनावश्यक आपूर्ति पर रोक लगाने का अनुरोध किया। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सुनैना देवी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मेरी माँ का नाम स्व0 फेकनी देवी था। इस प्रकार इस राशन कार्ड पर मेरे या मेरे पिता के द्वारा कभी भी आवश्यक वस्तुओं का उठाव नहीं किया गया है। इस फर्जी राशन कार्ड पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवश्यक वस्तुओं का उठाव किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेख एंव वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

1. श्री धर्मेन्द्र कुमार मण्डल का नाम दो जगहों के वोटर आई0 कार्ड एवं राशन कार्ड में था। श्री मण्डल द्वारा एक जगह से नाम हटाने हेतु कब आवेदन दिया गया, इसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया है। इस संबंध में श्री मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य पर तिथि अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नाम हटाने की

WEB COPY NOT OFFICIAL

कार्रवाई विज्ञापन से पहले की गयी या बाद में। नाम हटाने के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते थे, नाम क्यों नहीं हटे का कारण स्पष्ट नहीं है। क्या ERO (Electoral Roll Registration Officer) ने आवेदन देने पर भी नाम Delete नहीं किया ? अभिलेख में स्पष्ट नहीं है। दो जगह वोटर लिस्ट में नाम रखना या वोटर Id Card होना The Representation of the People Act , 1950 की धारा 17 एवं 31 के अनुसार दंडनीय अपराध है। साथ ही यह Coincidence नहीं हो सकता कि अपीलकर्ता का नाम मतदाता सूची एवं राशन कार्ड दोनों में दो जगह रह जाये एवं राशन भी उनके नाम से लगातार उठ जाये। प्रदर्श में संलग्न अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर के कार्यालय का नोटिस जिस पर सिर्फ मजमून है, न हस्ताक्षर है एवं न ही पत्रांक/दिनांक है, उस पर अपीलार्थी द्वारा राशन कार्ड कैंसिल करने हेतु स्वेच्छा से रद्द करने का आवेदन देने की बात की गई है जो संदेहास्पद है।

2. श्री मण्डल का कहना है कि उनका सुनैना देवी के साथ कोई संबंध नहीं है।

परन्तु श्री मण्डल द्वारा अपने अपील आवेदन के साथ अध्यक्ष, बगाहीं, रामनगर पैक्स द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें ''सुनैना देवी, पति–हरि मंडल, ग्राम–रामनगर'' अंकित है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। सुनैना देवी से अपीलार्थी का रिश्ता है जिसे जानबूझकर छुपाये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस प्रकार श्री मण्डल अपने बचाव में इस न्यायालय को स्पष्ट साक्ष्य देने में असमर्थ रहें है। सुनैना देवी के राशन कार्ड सं0–10040110001021520048 की प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि खाद्यान्न भी लगातार वर्ष 2017–18 तक उठाया गया है। इनके आवेदन देने के बाद दिनांक 11.04.2018 से राशन बंद हुआ है।

उपर्युक्त के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक 15.12.2020 को लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर को निदेशित किया जाता है कि एक ही साथ दो जगह से राशन कार्ड में खाद्यान्न उठाव किये जाने की गहनतापूर्वक जाँच कर दोषी उठावकर्ता पर उचित कार्रवाई एवं वसूली भी करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त।**

WEB COPY NOT OFFICIAL